

25.07.2016

General Instruction for Planning & Bid Submission

संदर्भ :-1) समाचारपत्र नवभारत रायपुर दिनांक 24.07.2016 एवं हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली दिनांक 25.07.16 का विज्ञापन।

विषय :- मण्डल की प्रस्तावित विशेष आवासीय योजना सेरिखेड़ी नया रायपुर (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीयो हेतु) भूमि रकबा 20.24 हेक्टे. एवं योजना की अनुमानित लागत रु. 30 करोड़ मात्र लेआऊट प्लानिंग के लिए वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य कराने ए श्रेणी मे पंजीबद्ध वास्तुविद/फर्म/कंपनी से (1) तकनीकी ऑफर (2) वित्तीय ऑफर आमंत्रित करने बाबत।

मण्डल की प्रस्तावित विशेष आवासीय योजना सेरिखेड़ी नया रायपुर (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीयो हेतु) भूमि रकबा 20.24 हेक्टे. एवं योजना की अनुमानित लागत रु. 30 करोड़ मात्र लेआऊट प्लानिंग के लिए वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य कराने हेतु मण्डल की वेबसाइट में दिनांक 05.01.2016 को ई.ओ.आई.-2015 अंतर्गत पंजीबद्ध किये वास्तुविद/फर्म/कम्पनी की सूची जारी की गई हैं इस सूची में से वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य हेतु सूची-ए मे से ए श्रेणी मे पंजीबद्ध वास्तुविद/फर्म/कम्पनी से(1) तकनीकी आफर (2) वित्तीय ऑफर दिनांक 05.08.2016 तक आमंत्रित किये गये हैं।

क्रं.	योजना का नाम	भूमि रकबा	योजना की अनुमानित लागत करोड़ मे	प्रोसेस फीस रु.	ई.एम.डी. (अमानत राशि रु.)	बिड में भाग लेने वाले वास्तुविद/फर्म मण्डल में पंजीबद्ध श्रेणी (Arch. & Eng.Ser.) 2015 में (05.01.2016 को जारी सूची-ए में से)
1.	विशेष आवासीय योजना सेरिखेड़ी नया रायपुर (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीयो हेतु) (लेआऊट मात्र) जिला-रायपुर	20.24 हेक्टे.	30.00	10,000.00 (दस हजार)	50,000.00 (पचास हजार)	A Category


1. समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति :- संलग्न
2. बिड जमा करने की दिनांक 05.08.2016 समय शाम 5:00 बजे तक। बिड-व्यक्तिगत/ स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा स्थान आयुक्त कार्यालय, मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर में जमा किया जा सकता है।
3. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 06.08.2016 समय 11:30 बजे से स्थान मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर। इस बिड ओपनिंग के समय बिड में भाग लिए वास्तुविद/फर्म स्वयं या आपके प्रतिनिधि आमंत्रित है।
4. वित्तीय ऑफर बाद में खोला जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी।
5. सर्वे प्लान सॉफ्ट कॉपी :- संलग्न
1.प्रस्तावित विशेष आवासीय योजना सेरिखेड़ी नया रायपुर, (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीयो हेतु) जिला-रायपुर।

6. इस योजना मे वास्तु विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जावे, T&CP नगर निगम एवं केन्द्र व शासन के अन्य संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर होने चाहिए।
7. इस योजना मे पर्यावरण अनुकूल ग्रीन कानसेप्ट का समावेश, वाटर हार्वेस्टिंग आदि का समावेश किया जाना चाहिए।
8. इस योजना तैयार करने के पूर्व भूमि का निरीक्षण अवश्य किया जाये।
9. इन योजना के लिए प्रोसेस फीस एवं (EMD) अमानत राशि जो कि उपर तालिका अनुसार का डी.डी. जो कि Commissioner, C.G.H.B. Raipur के नाम पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य हैं। अन्यथा बिड निरस्त मानी जायेगी।
10. ऑफर (बिड) विज्ञापित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले बिड स्वीकार नहीं किये जावेंगे। (Postal delay will not be considered)
11. चयनित वास्तुविद/फर्म/कम्पनी को कार्य मण्डल को वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर करने हेतु सहमति दी जावेगी एवं इसका अनुबंध अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए ही रहेगा। इन योजनाओं में मण्डल को उपलब्ध भूमि में ही योजना तैयार की जावेगी एवं उसके अनुसार ही वास्तुविद/फर्म/कंपनी को भुगतान किया जावेगा। इस बाबत अन्य नियम, शर्तें ई.ओ.आई 2015 में दिये गये अनुसार होगी।
12. ई.ओ.आई. 2015 के करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016 संलग्न है, इसका अवलोकन कर वित्तीय प्रोजेक्ट जमा करें। वित्तीय प्रोजेक्ट ई.ओ.आई. 2015 के बिन्दु कं. 7.5 (जो कि अधिकतम दर है) के आधार पर निम्न तालिका/प्रोफार्मा अनुसार तैयार कर बंद लिफाफे मे रखे।

Proforma of financial offer

upper limit of EOI 2015 rate	Quoted rate (in% below or at par of EOI 2015 rate) Quote for over all services fees at a time
over all rate of EOI 2015 as per Point no. 7.5

13. इस योजना के लिए प्राप्त बिड मे से एवार्ड ऑफ वर्क ई.ओ.आई. 2015 के (करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016) 7.4 बिन्दु के विधि अनुसार फाईनल वास्तुविद/फर्म/कंपनी का चयन किया जायेगा।
14. फाईनल चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनी को मण्डल की ई.ओ.आई. 2015 (करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.16) व अन्य शर्तें, नियम, स्कोप ऑफ वर्क, मोड ऑफ पेमेंट, के अनुसार कार्य किया जाना होगा।
15. ई.एम.डी. राशि को इस योजना के लिए फाईनल कंसलटेन्ट का चयन व चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद चयनित कंसलटेन्ट का डी.डी. मण्डल में जमा रहेगा व इसे फाईनल बिल भुगतान के समय समायोजित किया जायेगा व अन्य बिड में भाग लिए कंसलटेन्टों का डी.डी. इनके द्वारा मांग की जाने पर चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद वापस किया जायेगा।
16. इस योजना के स्थल निरीक्षण एवं जानकारी हेतु वास्तुविदीय प्लानिंग के लिए मंडल मुख्यालय के वास्तुविद से मों.नं. 09424209010 पर संपर्क किया जा सकता है एवं योजना स्थल की जानकारी एवं निरीक्षण करने हेतु कार्यपालन अभियंता संभाग 4 रायपुर 09425209838 से सम्पर्क किया जा सकता है।
17. इस योजना के लिये कम्पाउंड वॉल का एवं मैन गेट सेक्योरिटी रुम के साथ प्रावधान रखा जावे।


वास्तुविद 25/7/16

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, रायपुर